JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (अनुसूचित जनजातीयों की आर्थिक स्थिति के विशेष सन्दर्भ में)

कमलेश गुथरिया

पीएच.डी. शोधार्थी (अर्थशास्त्र)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

सारांश *:– प्रस्तुत अध्ययन अलीराजपुर जिले में प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित है। अलीराजपुर जिले की कुल चार तहसीलों में से देव निर्दषन विधि से 3 तहसीलों का चयन किया गया। जिसमें से ग्रामीण कृषि क्षेत्र से 100–100 कृषकों का चयन कर कुल 300 कृषकों अध्ययन किया गया। इन 100 न्यादर्षो में सभी किसान जैसे लघु, सीमांत एवं बड़े किसानों को सम्मिलित किया गया। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि कुल उत्तरदाताओं में से 89.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के उपरान्त उनकी आर्थिक स्थिति निम्न से मध्यम हुई है।*

कुँजी शब्द :– अधिसूचित फसल, अनुसूचित जनजाति, कृषि फसल बीमा योजना, आर्थिक स्थिति।

परिचय :– भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा खरीफ 2016 सीजन के बाद से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) स्कीम शुरू की गई। भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों के बीच सही तालमेल, फसल बीमा योजना की जानकारी के प्रचार प्रसार और फसल नुकसान की स्थिति में दावा निपटान की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए बीमा पोर्टल शुरू किया है। फसल की कटाई के बाद अधिकतम 2 हफ्ते तक उसको होने वाले नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे का दावा किया जा सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट से पीएम फसल बीमा योजना के प्रीमियम की रकम फसल को नुकसान होने से पहले चुका दी गई है तभी आप फसल बीमा के मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया है और फसल को नुकसान होने की स्थिति में उसके मुआवजे के लिए दावा करना चाहते हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को फसल का नुकसान होने पर इसकी जानकारी बीमा कंपनी को देनी होती है।

अधिसूचित फसल मौसम के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि संचालन ऋण (फसल ऋण) स्वीकृत किए गए सभी किसानों को, जिन्हें अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। यह योजना गैर–कर्जदार किसानों के लिए वैकल्पिक है। बीमा कवरेज कड़ाई से बीमा राशि/हेक्टेयर के बराबर होगा, जैसा कि सरकार में परिभाषित किया गया है। ऋणदाता और गैर–ऋण वाले दोनों किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में नामांकित किया जाना है जो कृषि और किसान

कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के हैं। किसानों को मौसमी फसल ऋण देने वाले बैंक में डेटा अपलोड करने के लिए जिम्मेदार हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अनुसूचित जनजाति किसानों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन् ।

अध्ययन क्षेत्र :– प्रस्तुत शोध कार्य के अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेष के जनजातीय बाहुल्य अलीराजपुर जिले का चयन किया गया है।

अध्ययन का समग्र :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र अलीराजपुर जिले में प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त हितग्राहियों को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की इकाई :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र अलीराजपुर जिले में प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित उत्तरदाता को अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया है।

निदर्शन विधि :– अलीराजपुर जिले में चार तहसील है– जोबट, भाबरा ,सोडवा, अलीराजपुर, जिसमें देव निर्दषन विधि से 3 तहसीलों का चयन किया गया। जिसमें से ग्रामीण कृषि क्षेत्र से 100–100 कृषकों का चयन कर कुल 300 कृषकों अध्ययन किया गया। इन 100 न्यादर्षो में सभी किसान जैसे लघु, सीमांत एवं बड़े किसानों को सम्मिलित किया गया।

समंक एकत्रित करने के स्त्रोत :– प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों का उपयोग किया गया है।

तकनीक एवं उपकरण :– संमक एकत्रित करने हेतु अवलोकन पद्धति, समूह चर्चा, अनुसूची, साक्षात्कार पद्धति, अनौपचारिक वार्तालाप, एस. पी. एस. एस. सारणीयन एवं फोटोग्राफी का उपयोग किया गया है।

विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि :– आंकड़ों का संकलन के पश्चात्, संग्रहित ऑकड़ों की छंटनी करके, कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया गया तथा एस. पी. एस. एस. पैकेज का प्रयोग करते हुऐ सारणीयन के पश्चात् विष्लेषण करके उपयुक्त निष्कर्ष निकाले गये हैं।

तालिका 1.1 लिंग से सम्बन्धित विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पुरुष	221	73.7
2	महिला	79	26.3
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :– प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाता के लिंग से सम्बन्धित विवरण दिया गया है जिसके विष्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 73.7 प्रतिषत पुरुष उत्तरदाता एवं 26.3 प्रतिषत महिला उत्तरदाताओं से अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन के दौरान जानकारी प्राप्त की गई है।

तालिका 1.3 उत्तरदाता के व्यवसाय से सम्बन्धित विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि	294	98.0
2	कृषि मजदूरी	6	2.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :– प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

उत्तरदाता के व्यवसाय से सम्बन्धित विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 98 प्रतिषत उत्तरदाता कृषि व्यवसाय करते हैं जबकि 2 प्रतिषत उत्तरदाता कृषि मजदूरी करते हैं।

तालिका 1.4

उत्तरदाता की वार्षिक आय से सम्बन्धित विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	18000 रु. या इससे से कम	90	30.0
2	18000 रु. से 36000 रु. तक	157	52.3
3	36000 रु. से 54000 रु. तक	27	9.0
4	54000 रु. से 72000 रु. तक	18	6.0
5	72000 रु. या इससे अधिक	8	2.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :— प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

उत्तरदाता की वार्षिक आय से सम्बन्धित विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 30 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी वार्षिक आय 18000 रु. या इससे से कम प्राप्त होती है जबकि सर्वाधिक 52.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी वार्षिक आय 18000 रु. से 36000 रु. तक प्राप्त होती है। 9 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी वार्षिक आय 36000 रु. से 54000 रु. तक प्राप्त होती है, वहीं 6 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी वार्षिक आय 54000 रु. से 72000 रु. तक प्राप्त होती है। 2.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी वार्षिक आय 72000 रु. या इससे अधिक प्राप्त होती है।

तालिका 1.5

उत्तरदाताओं की कृषि योग्य भूमि से सम्बन्धित विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	5 बीघा या इससे कम	158	52.7
2	5 से 10 बीघा	73	24.3
3	10 से 15 बीघा	32	10.7
4	15 से 20 बीघा	28	9.3
5	20 बीघा से अधिक	9	3.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :— प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

उत्तरदाताओं की कृषि योग्य भूमि से सम्बन्धित विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है जिसके विष्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 52.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास 5 बीघा या इससे कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है जबकि 24.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास 5 से 10 बीघा कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। 10.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास 10 से 15 बीघा कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है वहीं 9.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं के पास 15 से 20 बीघा कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। 3 प्रतिषत ऐसे उत्तरदाता पाए गए जिन्होंने बताया कि उनके पास 20 बीघा से अधिक कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है।

तालिका 1.7

कृषि हेतु प्रयुक्त फसल पद्धति से सम्बन्धित विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	एक फसली	31	10.3
2	द्विफसली	46	15.3
3	मिश्रित	223	74.4
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :– प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

उत्तरदाताओं द्वारा कृषि हेतु प्रयुक्त फसल पद्धति से सम्बन्धित विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तराताओं में से 10.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी कृषि भूमि पर एक फसली पद्धति से फसल का उत्पादन करते हैं जबकि 15.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी कृषि भूमि पर एक द्विफसली पद्धति से फसल का उत्पादन करते हैं। 74.4 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी कृषि भूमि पर एक मिश्रित फसल पद्धति से फसल का उत्पादन करते हैं।

तालिका 1.9

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होने सम्बन्धित विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	लाभ प्राप्त हाँ	262	87.3
2	लाभ प्राप्त नहीं	38	12.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :– प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होने सम्बन्धित विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 87.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ है जबकि 12.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है।

तालिका 1.10

पिछले वर्ष नुकसान होने वाली फसल का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	रबी की फसल	28	9.3
2	खरीफ की फसल	272	90.7
3	जायद की फसल	0	0.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :– प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

उत्तरदाताओं की पिछले वर्ष नुकसान होने वाली फसल के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 9.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं की रबी की फसल को पिछले वर्ष नुकसान हुआ जबकि 90.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं की खरीफ की फसल को पिछले वर्ष नुकसान हुआ।

तालिका 1.11

नुकसान फसल का कितने प्रतिशत बीमा मिला

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	0 से 05 प्रतिशत	47	15.7
2	05 से 10 प्रतिशत	218	72.7
3	10 से 20 प्रतिशत	22	7.3
4	20 प्रतिशत से अधिक	13	4.3
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :– प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 15.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं को फसल के नुकसान की 0 से 05 प्रतिशत तक बीमा राषि प्राप्त हुई, जबकि 72.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं को फसल के नुकसान की 05 से 10 प्रतिशत तक बीमा राषि प्राप्त हुई। 7.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं को फसल के नुकसान की 10 से 15 प्रतिशत तक बीमा राषि प्राप्त हुई वहीं 4.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं को फसल के नुकसान की 20 प्रतिशत से अधिक बीमा राषि प्राप्त हुई।

तालिका 1.12

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के पूर्व की आर्थिक स्थिति का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उच्च आर्थिक स्थिति	17	5.7
2	मध्यम आर्थिक स्थिति	29	9.7
3	निम्न आर्थिक स्थिति	188	62.7
4	अति निम्न आर्थिक स्थिति	66	22.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :– प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के पूर्व उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 5.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति उच्च थी जबकि 9.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति मध्यम थी। 62.9 प्रतिषत उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति निम्न थी वहीं 22 प्रतिषत उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति अति निम्न थी।

तालिका 1.13

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के उपरान्त आर्थिक स्थिति का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उच्च आर्थिक स्थिति	32	10.7
2	मध्यम आर्थिक स्थिति	268	89.3
3	निम्न आर्थिक स्थिति	0	0.0
4	अति निम्न आर्थिक स्थिति	0	0.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

स्त्रोत :– प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2021

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के उपरान्त उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 10.7 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के उपरान्त उनकी आर्थिक स्थिति उच्च हुई है जबकि 89.3 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने के उपरान्त उनकी आर्थिक स्थिति मध्यम हुई है।

निष्कर्षतः स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मूलतः सभी कृषकों के लिए बनाई गई है किन्तु वास्तव में ऋणी कृषकों हेतु अनिवार्यता के कारण ही योजना संचालित हो रही है। गैर ऋणी कृषकों का इस योजना के प्रति कोई रुझान नहीं है। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों का निर्धारण कर दिया गया है किन्तु कृषकों को इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नहीं है। गैर ऋणी कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार की आवष्यकता है। योजना में औसत उपज के मूल्य का प्रतिषत बीमा संरक्षण लिए जाने का प्रावधान है किन्तु कृषक इस प्रावधान से परिचित नहीं है और न ही इसका लाभ ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन एजेन्सी के कार्यालय केवल प्रदेषों की राजधानियों में स्थित है। स्थानीय स्तर पर यह योजना बैंकों द्वारा संचालित हो रही है। क्रियान्वयन एजेन्सी के कृषकों से दूर होने के कारण योजना को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी है। क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण राज्य में योजना लागू कर दी जाती है किन्तु ग्रामीण एवं स्थापित बैंक केवल ऋणी कृषकों को इस योजना का लाभ प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बीमित सीमान्त कृषकों की संख्या बीमित क्षेत्र और बीमा राषि यह प्रदर्षित करते हैं कि कृषकों का रुझान खरीफ फसल का बीमा कराने की ओर अधिक है। रबी की तुलना में खरीफ में यह संख्या तीन गुनी है।

सन्दर्भ

1- **Rao, K. N. 2012.** Agriculture risk management through Insurance. Outlook and Situation Analysis for Food Security, AIC, Ministry of Agriculture and Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi.

2- **Bhushan, C. Singh, G. Rattani, V. and Kumar, V. 2016.** Insuring agriculture in times of climate change. Report, Centre for Science and Environment, New Delhi, pp. 50-69.

3- **Duhan, A. 2017.** Farmer’s perceptions towards Crop Insurance. International Journal of Research in Applied. Vol. 5, I 8, 1-6.

4- **Gupta, S.C. 2018.** A Critical Appraisal of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (With Special Reference to Rabi Fasal 2016-17 in Rajasthan State). Inakshi publication.VOL-3 I-9 P: ISSN No.: 2394-0344.

5- **Mishra, P.K.2014.** "Report of the Committee to Review the Implementation of Crop Insurance Schemes in India", Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.

6- **Rai, R. 2019.** Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: An Assessment of India's Crop Insurance Scheme. ORFISSUE BRIEF No. 296.

7- **Singh, K.G. Singh, B.R., Singh, K.N. 2016.** Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: Challenges and Way Forward. Working Papers 253271, Guru Arjan Dav Institute of Development Studies (IDSAsr).

8- **Rajaram, Y. and Chetana, B. S. 2016.** A study on current crop insurance schemes with a special reference to Pradhan Mantra Fasal Bima Yojana and restructured weather-based crop insurance scheme. Int. J. Combined Res. Dev., 5(7): 1678-1683.